न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 150 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. बाबूलाल पुत्र जोगाराम जाति सीरवी निवासी– उदेशीकुंआ तहसील– सोजत जिला– पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 11/10/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम उदेशीकुआ पटवार क्षेत्र मुरडावा तहसील सोजत में खसरा नम्बर 254, 255, 256, 258, 263, 816 कुल खसरा 06 कुल रकबा 9.5500 हेक्टर की आई हुई स्थित है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्थ कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम पैन ऑफ स्लीफ की वजह से बाबूलाल के स्थान पर बालुराम वल्द जोगाराम अंकित कर दिया गया था। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम बालुराम नहीं होकर बाबुलाल है जो कि त्रुटि मात्र पैन ऑफ स्लीप की वजह से बाबूलाल के स्थान पर बालुराम अंकित हो गया है। इसके पश्चात जमाबंदी तैयार करते समय बालुराम पुत्र जोगाराम अंकित कर दिया जो एक सद्भाविक त्रुटि है, जिसे शुद्धि कर बालुराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र जोगाराम शुद्धि करवाए जाने के अधिकारी होने से यह शुद्धि का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। प्रार्थी ने फसल अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी का नाम बाबुलाल पुत्र जोगाराम के स्थान पर बालुराम पुत्र जोगाराम अंकि कर दिया है। तत्पश्चात् प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भुमि के पुराने राजस्व रेकर्ड की नकले सम्वत् 2069 से 2072 की नकलें प्राप्त की, जिसमें प्रार्थी का नाम बालुराम पुत्र जोगाराम गलत अंकित किया गया है तथा पर्चा लगान सम्वत् 2033 ये 2052 में प्रार्थी का नाम बाबू दर्ज सुदा है जवकि प्रार्थी का सही व वास्तविक रेकर्डड नाम विधुत बिल में बाबूलाल एवं परिचय पत्र बाबूलाल नाम ही दर्ज है जिसे शुद्धि किया जाना कानूनन एवं न्यायसंगत है। राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि के शुद्धिकरण हेतु तहसीलदार सोजत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् भी आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में शुद्धि नहीं किए जाने से तथा तहसीलदार

ोजत सिटी के द्वारा राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने से इंकार करने पर उक्त प्रार्थना पत्र ायालय हाजा में पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम उदेशीकुआ पटवार क्षेत्र मुरडावा तहसील सोजत में खसरा नम्बर 254, 255, 256, 258, 263, 816 कुल खसरा 06 कुल रकबा 9.5500 हेक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी बालुराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र जोगाराम शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने दिनांक 11.10.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा उदेशी कुआं में स्थित है। पैरा संख्या 02 से 03 के क्रम में निवेदन किया है कि सरहद मौजा उदेशी कुंआ के खसरा संख्या 254, 255, 256, 258, 263, 816 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी बाबुलाल पुत्र जोगाराम का नाम बालूराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर बाबलाल पुत्र जोगाराम करने की अनुशंषा की है। पैरा 04 से 06 को कानूनी बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि उसने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम उदेशीकुआ पटवार क्षेत्र मुरडावा तहसील सोजत में खसरा नम्बर 254, 255, 256, 258, 263, 816 कुल खसरा 06 कुल रकबा 9.5500 हेक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी बालुराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र जोगाराम शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम उदेशी कुंआ के खसरा संख्या 254, 255, 256, 258, 263, 816 जमाबंदी की प्रतिलिपि, पर्चा लगान 2033 से 2052 की प्रतिलिपि, प्रार्थी के विधुत बिल, मतदान पहचान पत्र प्रतिलिपियां पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा ग्राम उदेशीकुआ पटवार क्षेत्र मुरडावा तहसील सोजत में खसरा नम्बर 254, 255, 256, 258, 263, 816 कुल खसरा 06 कुल रकबा 9.5500 हेक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी बालुराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र जोगाराम के नाम रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सरहद मौजा ग्राम उदेशीकुआ पटवार क्षेत्र मुरडावा तहसील

उपखंड अधिकारी (जिला-पाली) राज.

...ा के खसरा नम्बर 254, 255, 256, 258, 263, 816 कुल खसरा 06 कुल रकबा 9.5500 ... की कृषि भूमि में प्रार्थी बालुराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र जोगाराम के नाम रेकर्ड दुरूस्त किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 11/10/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत